## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 68/2023

अनवान : –

1. पूर्णमल पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. कमला पुत्री शेरसिंह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. सावत्री पुत्री शेरसिंह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. कृष्णा पुत्री शेरसिंह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांकः 30/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 15 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 53/54 की कुल 2.0240 हैक्ट वादी की माता मृतक मनीदेवी पुत्री जुहाराराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी की माता का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 विधिक उत्तराधिकारी है।

प्रतिवादीया संख्या 1 ता 3 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि मे वादी अकेला काबिज दाखिल है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मृतका मनीदेवी पुत्री जुहाराराम का नाम कलमजन कर वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:11:55 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की मनीदेवी पुत्री जुहाराराम का नाम कलमजन कर वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार ने वकालतनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया । प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2077–80 रोही मौजा 15 डीपीएन खाता संख्या 53/54 प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र मनी प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र शेरसिंह प्रदर्श–3, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श–4, वारिसान प्रमाण पत्र प्रदर्श–5 आदि प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी की माता के नाम दर्ज है वादी की माता मनी देवी पुत्री जुहाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 15 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 53/54 की कुल 2.0240 हैक्ट वादी की माता मनीदेवी पुत्री जुहाराराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी की माता मनीदेवी पुत्री जुहाराराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:11:55 IST
Reason: SelfAttested

पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक मनीदेवी पुत्री जुहाराराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 53/54 की कुल 2.0240 हैक्ट वादी की माता मनीदेवी पुत्री जुहाराराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतका मनीदेवी पुत्री जुहाराराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:11:55 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 68/2023

अनवान : –

1. पूर्णमल पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– वादी

**बनाम्**

1. कमला पुत्री शेरसिंह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. सावत्री पुत्री शेरसिंह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. कृष्णा पुत्री शेरसिंह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 68 सन 2023 निर्णय दिनांक** 30/10/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं वकील प्रतिवादी श्री सुनील कुमार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 53/54 की कुल 2.0240 हैक्ट वादी की माता मनीदेवी पुत्री जुहारासाम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतका मनीदेवी पुत्री जुहारासाम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:11:55 IST
Reason: SelfAttested